



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर

Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders in TWO parts i.e., PART-A (Technical cum Commercial Bid) and PART-B (Price Bid) are invited by the Estate of ice for Licensing of BHEL Constructed shop premises and allotment thereof for establishment of permitted commercial /trading activities in BHEL FSIP Township, Jagdishpur-227817, for a period of Five (5) years.

SL NO	DESCRIPTION	DETAILS
1.	EMD AMOUNT (EMD)	Each shop has separate EMD amount based on reserved license fee as provided in Part –A/ Annexure I
2.	SECURITY DEPOSIT(SD)	Successful bidder has to pay SD as 12 months of quoted license fee, within 15 days on receipt of Shop allotment letter. If the agency fails to pay SD within the given time, Estate of ice can terminate the allotment without prejudice.
3.	COST OF TENDER DOCUMENTS	Nil (Free Downloads) Chargeable of Rs. 500/- per set of NIT for obtaining print outs from Estate Office.
4.	TENDER PUBLICATION DATE ON WEBSITE	24.05.2025
5.	LAST DATE AND TIME FOR BID SUBMISSION	16.06.2025 at 03.00 PM (21 Days from publication date)
6.	DATE AND TIME OF OPENING TENDER –PART –A –TECHNICAL CUM COMMERCIAL BID	16.06.2025 at 03.30 PM (21 Days from publication date)
7.	DATE AND TIME OF OPENING TENDER –PART –B –PRICE BID	Shall be intimated to the bidder who will be qualified after evaluation of Part A.
8.	PLACE FOR SUBMISSION OF TENDER. Tender is to be submitted at either of following mode: -	
	Through Email Email ID for Part-1: tenderip@bhel.in . Email ID for part 2: pricebidip@bhel.in .	Through NIC Bidders may submit their best offer at https://eprocurebhel.co.in/nicgep/app .
	Offers received from either mode will be considered for total bidders. Late offers shall be rejected. In case Part-A is found without Part-B offer, such offers shall be rejected even if qualified techno commercially. Also in case Part-B offer is found but bidder has not submitted Part-A offer through email before due date and time such offer will also not considered.	



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

Further, following instructions should be noted by bidders

1. The Tender details can be downloaded from BHEL website <http://www.bhel.com/tenders> & <https://eprocurebhel.co.in/nicgep/app>.
2. Interested bidders who wish to participate should visit the above website.
3. The bidder must ensure that the tender document submission before the closing time as the tender submission shall stop accepting the offer at prescribed date and time.
4. The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid, and the Employer shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.
5. Tenderer may carefully note that they are liable to be disqualified at any time during tendering process in case any of the information furnished by them is not found to be true.
6. The bidder shall submit one bid for bidding in ONE SHOP. If a bidder wishes to bid for (02) two shops (maximum), he has to submit 02 bids in the name of each shop. The EMD of respective shops are to be submitted as per Part-A/Annexure –I.

TENDER NOTICE- PART-A (TECHNO-COMMERCIAL BID)

Sealed Tenders in two part i.e. PART-A (Technical cum Commercial Bid) and PART-B (Price Bid) are invited by the Estate Officer for Licensing of shop premises as listed in Annexure-I in the company's township as detailed below subject to the terms and conditions of Allotment Rules of Bharat Heavy Electricals Limited, FSIP Jagdishpur - 227 817.

DETAILS AS FOLLOWS

Place	Description of Shop and location are furnished in ANNEXURE-I
Type	Built up area covered with RCC/Galvalume iron profile sheet roof.
Type of Business	The tenderer may run any type of business (es) as mention in Annexure-I which are not banned or not identified for any particular shop. The list of such banned business are listed in ANNEXURE-II .
License Fee	<p>License Fee shall be fixed by Tender. Minimum Reserve License Fee per month is indicated in the ANNEXURE-I.</p> <p>The final License Fee shall be fixed based on valid bids. License Fee together with allied charges (Water Charge, applicable Tax, Cess, wherever applicable) shall be payable every month in advance at the <u>beginning</u> of the month.</p> <p>The initial License Agreement will be made only for a maximum period of five years with the successful tenderer.</p> <p>During the currency of this agreement, the License Fees shall stand enhanced on each yearly anniversary of agreement @5% of previous year which shall be rounded off to the next higher ten rupees</p>
EB charges	Electricity charges have to be borne by the successful tenderer and should remit as per meter reading. Any increase rate proposed by UPPCL, will have to be borne by the occupant. No back-up power will be provided in case of power cut by UPPCL.
Earnest Money Deposit (EMD):	<p>EMD amount for that particular shop shall be submitted by the tenderer along with the PART-A (Technical cum Commercial Bid) of the tender document without which the tender will be rejected summarily. The EMD amount for each shop is furnished in ANNEXURE-I.</p> <p>EMD as indicated in ANNEXURE-I shall be submitted along with PART-A of the tender in form of Electronic Fund Transfer (EFT) credited in BHEL account (before tender opening). EFT shall be made in Bank Account No.: 10405292240 of SBI, IGFC branch, I A Jagdishpur, IFSC No. SBIN0009072. Receipt of EFT Transfer from bank shall be enclosed with technical offer.</p> <p>Tenders received without Earnest Money Deposit shall be summarily rejected.</p> <p>Cheques will not be accepted.</p> <p>Earnest money deposit of unsuccessful tenderers shall be refunded within fifteen days of acceptance of allotment order.</p> <p>In the case of successful tenderer, earnest money deposit will be adjusted towards the Security Deposit or it may be forfeited in case the successful tenderer refuses to accept the award of License or fails to complete the required formalities and occupy the premises within the specified and permitted time and delay in starting the actual operation beyond the permitted time under the License.</p>
Reservations of SC/ST/EWS&OBC:	<p>As per policy, 15% (fifteen) of vacant shops as notified for this tender, are identified for allotment to only Schedule Cast Communities , 6%(Six) for Schedule Tribe Community and 27% will be reserved for OBC Communities and 10% to EWS Community. Accordingly, shops are earmarked for ScheduleCaste/Schedule Tribe/OBC/EWS only.Those belong to SC/ST/OBC/EWS Community can only bid for the shops earmarked for the respective communities and information in this regards, is furnished in Annexure -I.</p> <p>Bidders belonging to SC/ST/OBC/EWS community under identified shops can only participate for earmarked shop in the tender. Tenders submitted by any community other than indicated one will not be considered and will be summarily rejected</p>

Pre-Qualification Requirement	<p>a) The tenderer should not have been convicted under court of law nor should have any criminal case pending against him. The tenderer shall declare the same in Annexure-III.</p> <p>b) The tenderer should not have been black listed by Central/State government or Public Sector establishments or by public sector banks. The tenderer shall declare the same in Annexure-III.</p> <p>c) Self-attested copy of any two of the Ration Card, Aadhar card, Voter Identity card or PAN card shall be submitted as Address Proof. Besides self-certification AFFIDAVIT on antecedents of the tenderer shall be submitted in original. In the event of any shop is allotted to the tenderer, the details of the allottee will be forwarded to the Police for verification and in case the affirmation of the allottee is found false at a later stage, immediate action taken for eviction and the allotment would be terminated forth with.</p> <p>d) Self-attested copy of valid community certificate issued by appropriate authority.</p> <p>e) Any other document required as per Annexure I.</p>
Non-eligibility Criteria	<p>a) Who has not vacated/handed over the shop after issuing of eviction notice/ notice from Estate until the date of notification of tender.</p> <p>b) Age below 18 years as on Tender Notification date.</p> <p>c) Ex-Licensee(s)/Existing Licensee(s) of BHEL Township having outstanding dues in respect to the Rental Charges, except where the dues are pertaining to current months' license fee.</p>
Evaluation of PRICE BID (Tender Part-B)	<p>a) Bidders who qualify Part-A (Technical cum Commercial Bid) will only be considered for Part-B.</p> <p>b) Shop will be allotted to the bidder who quotes highest License Fee for that particular shop. Offers of the Technical cum Commercially qualified bidders will be ranked in the order of highest License Fee quoted to the lowest (i.e. H1, H2, H3....). The successful bidder will be selected, based on the highest rate of License Fee offered (H1) for that particular shop. The decision of Estate Officer, BHEL, FSIP Jagdishpur shall be final in this regard.</p> <p>c) Incase more than one bidder quote the same highest License Fee (H1), then snap bid asking for fresh quotes from H1 bidders will be resorted to and the shop will be allotted to the bidder who quotes highest revised license Fee quote.</p>
Period of Allotment	<p>5 years from the date of allotment.</p> <p>Renewal after 5 years may be considered at revised terms and conditions agreeable to both the parties. At the time of renewal, the balance of interest free revised Security Deposit based on 12 months revised license fee shall be deposited towards Security Deposit. The cumulative security deposit will be returned without interest after the License period is over and after surrender of the building by the occupant subject to full settlement of dues payable to company.</p>
Discrepancy in "words" & "Figures":	<p>The License Fee quoted in the tender shall be in figure as well as in words. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail.</p> <p>If there is such discrepancy in an offer, the same shall be conveyed to the bidder with target date up to which the bidder has to send his acceptance on the above lines and if the bidder does not agree to the decision of BHEL, the bid is liable to be rejected</p>

<p>Instructions to Bidder</p>	<p>a) The vacant shop premises in BHEL FSIP Township will be used for running businesses on License Agreement basis on "as is where is" basis. This means, that bidder has to accept the shop/premises in its current condition, whatever this condition happens to be.</p> <p>b) Tender Document does not purport to contain all the information that each Bidder may require. Bidders are requested to conduct their own investigations to analysis and to check the Accuracy, reliability and completeness of the information in this Tender Document before participating in the tender process. BHEL makes no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the Tender Document information provided here under is only to the best of the knowledge of BHEL.</p> <p>c) Participating in the tender shall mean the Bidder has categorically accepted the provisions of the Tender Document.</p> <p>d) Bidders are required to read carefully the contents of this document and to provide the required information. Each page of the Tender Document, including Corrigendum / Addenda (if any), and other submissions may be Numbered, Signed & Stamped, as a token of acceptance of terms and conditions of this tender, before submission. Any unsigned and unstamped document may not be considered for evaluation.</p> <p>e) Bidders will not be considered if they make any false or misleading representations in statements / attachments. If any submission is found false or misleading even at later stage (i.e. after the award of Tender) then also, the Bidder may be blacklisted for participation in any future tender of BHEL. In such a case, Bidder shall forfeit the Earnest Money Deposit (EMD) or Security Deposit, as applicable, held with BHEL.</p> <p>f) Tenderer, in his own interest, is suggested to inspect the proposed premise(s) before submitting tender. The tenderer shall not be allowed to raise disputes later on this account</p> <p>g) The tender application, complete in all respects to be submitted in a sealed cover with inscription on the top left side "Tender for Shop Number _____ for Business..... in BHEL FSIP Township", and drop it in the sealed tender box placed in the office of Estate Officer by the stipulated date and time. The management shall not be responsible for any loss or delay in receipt of the tender by post.</p> <p>h) Bidder has to submit the separate tender documents for each shop which is opted for bidding. If, the bidder bid for three shops then, three separate tender documents indicating shop name and business opted over the sealed envelope.</p> <p>i) Successful Tenderer shall complete all formalities within 15 days of time including deposition of Security Deposit and execution of License Deed prescribed by BHEL and shall start his business within 45 (Forty) days from the date of allotment of Shop / Licensed premise</p> <p>Sealed bids shall be submitted in the manner as mentioned below:</p> <p>i) First sealed Envelope super scribed as "PART-A (Technical cum Commercial Bid) Tender for Shop Number for the business of in BHEL FSIP Township", shall contain full set of all the above tender documents, except PART-B, duly filled-in and documents in support of pre-qualification with signature on all pages but without any mention of Rates & Prices. First envelope shall also contain "EARNEST MONEY DEPOST (EMD) in the form of DD payable at any Nationalised bank in Jagdishpur, Uttar Pradesh.</p> <p>ii) Second sealed Envelope super scribed as "PART-B (Price Bid) Tender for Shop Number.....for the business of in BHEL FSIP Township", shall contain Rates & Prices filled in the Price Bid format with signature. No other additional papers to be enclosed therein.</p>
--------------------------------------	---

Other Information	<p>a) The PART-A bids (Technical cum Commercial Bids) will be opened on the same day at 3.00 PM in presence of the Tenderers or their authorized representatives. After ascertaining the techno-commercially suitability of the offers, the price bids of techno-commercially acceptable tenderers will be opened on a specified date which will be communicated to the tenderers for participation to witness the same.</p> <p>b) Acceptance of the bid will be intimated to successful tenderer through a Letter of Intent (LOI) and this letter will be treated as authorization for allotment of shop on licensed basis. The tenderer shall sign the said copy of LOI and send to the Estate Officer, BHEL FSIP, Jagdishpur within fifteen days (15) from the date of receipt of the same. In the event of failure on the part of the tenderer to sign and return the LOI within the specified time, BHEL shall have the right to black list the tenderer in-line with BHEL policy. The decision of BHEL shall be final and binding on this matter.</p> <p>c) Subletting of Licensed Premises in full or part is STRICLTLY PROHIBITED. If noticed at any point of time, License shall be terminated and cancelled not limiting to forfeiting of Security Deposit and / or seizing of Vendor's material in the shop.</p> <p>d) In case of death of the Vendor during Agreement period, License shall be cancelled forthwith.</p> <p>e) Vendors shall abide by the changes made in the Shop Allotment Policy like unit rates / License Fees / Water charges / Electrical Charges etc., by BHEL, from time to time, and enter into a new agreement, if required.</p> <p>f) Irrespective of minimum amount of sale, 80% of the sales shall be "CASHLESS".</p> <p>g) Tenderers has to bear all the expenditure for establishment of businesses or trading including Supply, Installation, Transportation, Manpower, Tools & Tackles, periodical Maintenance, spares & accessories etc., all complete in the cost of bidders.</p> <p>h) This is Bidder's responsibility to obtain knowledge and physical inspection of opted shops for bidding before submission of tender.</p> <p>i) The bidder agrees to maintain the interior and the exterior of the licensed premises in good tenantable repair at all times during his occupation of the same at his own cost and expenses. However, on account of such expenses and costs, the bidder shall not be entitled to claim any compensation or rebate in the License Fee reserved in this tender.</p> <p>j) That the bidder shall not carry out any additional/alteration of permanent nature, except minor repairs and interiors of temporary nature. No structural change will be permitted.</p>
General Condition of Business	<p>a) Bidder shall submit their bids for Permissible businesses only. The Non – permissible and banned businesses are mentioned in Annexure II.</p> <p>b) If feasible, water supply point shall be given by BHEL to the nearest possible location of the shop, if requested by the bidder with applicable terms and conditions of NIT.</p> <p>c) All successful bidders must open their allotted shop daily and display the opening schedule prominently in front of the shop. Grocery, vegetable, and dairy shops must be open at least from 7:00 AM to 9:00 AM in the morning and 3:00 PM to 8:00 PM in the evening. Failure to comply will result in a penalty of Rs. 100 per day.</p> <p>d) For the businesses of selling Food products, packaging food products prevailing Government rule shall be applicable and bidder should be abide by the norms and restriction set by the Government.</p> <p>e) It is bidder responsibility to maintain the premises clean & hygienic. The waste/ scrap will be segregate as wet and dry and disposed outside of the township.</p> <p>f) Spitting is strictly prohibited in the township. If found, Penalty will be imposed as per prevailing rules.</p> <p>g) Usage of Single Use Plastic is prohibited in township. If found, Penalty will be imposed as per prevailing rules.</p> <p>h) Engagement of Child labour below the age of 18 years is strictly prohibited as per Government Rules.</p>

Terms and Conditions	
1	Term, Effective Date etc.
1.1	The License granted under this allotment shall become effective from the date of execution of this Agreement.
1.2	The tenure of the license commencing from the Effective Date, shall be for a total period of five years (60 months).
1.3	The Licensee shall be allowed occupation of the premises only after submitting the security deposit for due observance of the terms and conditions of the license for an amount equivalent to 12 (twelve) months licensee fee
1.4	The Earnest Money Deposit of the Licensee, if any, submitted along with the bid shall be adjusted towards the security deposit to be paid.
1.5	The Security Deposit will be refunded without interest only after the Licensee vacates the premises and hands over physical and unencumbered possession of the Premises to the Company on termination or expiry of the License after deducting there from any sum that may be found due from the Licensee.
1.6	In the event of non-observance of any of the terms and conditions of this license the said Security Deposit shall be forfeited in whole or in part at the discretion of the COMPANY.
1.7	Subject to the Licensee not being in default of any of its obligations under this Agreement and prior mutual agreement being reached between the Parties in this behalf as to the terms and conditions, the license may be renewed further.
2	Types of Business:
2.1	From time to time, the Company shall notify lists of banned business (es). Businesses notified as banned businesses (Annexure-II) shall not be carried on from the Premises. Also, the tenderer shall not quote or carry on business (es) which are not permitted in particular shop(s) (Annexure-I). The tender(s) of bidder(s) who quote to conduct or carry on Banned/not permitted business (es) as above will be summarily rejected.
2.2	The Licensee hereby agrees and undertakes that it shall not conduct or carry out any business from the Premises which is notified as a Banned Business/not permitted by the Company.
2.3	For General Business - The Licensee to whom the premises have been allotted for General Business may change over to one or more business (es) without need for further permission from the Company subject to clause nos. 2.1 and 2.2. Further, in case the Licensee switching over Business no change/relaxation in license fee payable will be allowed for such change of business.
3	License Fee etc.
3.1	License Fee shall be fixed based on evaluation of the Tenders.
3.2	The License Fee for the first month shall be paid as on the day of signing of this Agreement
3.3	For each subsequent month during of this Agreement the License fee shall be paid on or before the fifth day of each calendar month in advance without any demur or reservations and without insisting for a written demand being raised by the Company in this regard.
3.4	During the currency of this Agreement, the License Fee fixed through tender as mentioned in clause 3.1 shall stand enhanced on each yearly anniversary of this Agreement @5% of actual rent of previous year which shall be rounded off to the next higher ten Rupees.
3.5	The Licensee shall pay the enhanced License Fee during the said year in the same manner as stipulated in clause 3.3. Same procedure shall be followed in subsequent years also during the currency of this Agreement.
3.6	The due and prompt payment of the License Fee in the manner stipulated herein above shall be of essence of this Agreement and the Licensee understands that any failure to make the due payment by the stipulated time shall amount to a fundamental breach of its/his obligations under this Agreement.

3.7	The Company shall issue to the Licensee the receipt acknowledging the realization of the License Fee within a period of 7 days from the date of realization thereof.
4	Vacation of the Premises for Need of the company:
4.1	If at any time during the period when the Licensee is in occupation of the Premises, the Company needs the said Premises, the Company can call upon the licensee from one Premise another similar Premise in any available location, similar to the extent possible to the present location and the Licensee shall thereupon vacate and shift to such premise within the period stipulated in this behalf by the Company at his own expense. If no such alternative shop is available, the Company shall terminate the license by giving one month notice.
5	Nature of License and Prohibition on Transfer/ Assignment of License:
5.1	That the LICENSEE of the said premises shall, during the currency of the term of the Agreement, have only a permissive right to use the said premises for the purpose provided in the Agreement, arising by the permission granted by the Company. Nothing herein contained shall be construed to create a tenancy or exclusive right in favor of LICENSEE to the Licensed premises and his rights are only those of a bare licensee.
5.2	That the LICENSEE shall not in any manner assign or transfer the license to any person nor shall the Licensee sublicense the said premises or part with any privilege granted herein to any other person whatsoever or in any manner. The Licensee shall use the premises solely for the purpose defined herein for which he has been granted this License, in the event of violation of this condition the Licensor may, without prejudice to any other action which he may be entitled to take, terminate this License forthwith.
6	Compliance of Laws
6.1	That during the period when the LICENSEE remains in occupation of the Licensed premises, the LICENSEE shall abide by the provisions of all applicable central or state laws and rules or regulations framed thereunder applicable to his trade or his use of the licensed premises and shall bear all costs towards compliance of the said provisions on his own account. Without prejudice to the generality of the foregoing, in particular, the LICENSEE shall comply with the provisions of the Employment of Children Act, 1938, Shops and Commercial Establishment Act of the State etc.
6.2	The LICENSEE also shall obtain at his own cost and expense all licenses, permissions, permits or clearances from the concerned authorities as necessary for use of the licensed.
6.3	The LICENSEE also shall comply with at his own cost any regulation, direction or order of any regulatory or statutory authority or judicial or quasi- judicial body or local authority with regard to the use of the licensed premises by the Licensee or the trade carried out there from during the period he is or remains in occupation of the licensed premises.
6.4	That the LICENSEE shall pay all taxes, levies, cesses, fees or charges of whatsoever description, with all enhancements in relation to the said occupation or use of the licensed premises and / or the trade carried on in and from the said premises as is to be paid or assessed by the authorities concerned during the period when the licensee remains in occupation of the licensed premises be complied with by the Licensee at his own cost and expense.
6.5	The Licensee understands and shall agree that the premises allotted may be inspected from time to time by officials of the concerned statutory or local or regulatory authorities Agencies and that any observation, order passed consequent upon such inspection shall
6.6	The fine or other penalty of whatsoever description, imposed by the concerned authority in respect of any violation or the non-compliance of any applicable provision shall be paid by the Licensee.
6.7	The LICENSEE shall keep the Licensor/Company harmless and hold it indemnified on account of any loss or damages sustained or expenses or costs incurred by the Licensor in order to defend any proceeding brought against it or on account of use of the licensed premises by the Licensee or to ensure compliance of the central and the state laws, rules, regulations made thereunder or regulations, directions or orders of any regulatory or statutory authority or judicial or quasi-judicial body or local authority as applicable to the trade of the licensee or to the use of the licensed premises by the Licensee.
6.8	The Licensee shall, without demur or reservations, forthwith pay in full, the sum of money as demanded by the Licensor in terms of clause 6.7 .

6.9	Initial License agreement will be made only for a maximum period of 5 years. Thereafter Subsequent renewals limited to two times will be permitted for maximum 5 year each time subjected to compliance of the terms and conditions of such allotment as specified in the license agreement.
7	Risk and Liabilities of Licensee:
7.1	That the Licensee shall solely bear all risks and liabilities whatsoever, and meet all debts or arrears in respect of the trade carried on by the Licensee in or from the licensed premises and the COMPANY shall not be liable for any such risks nor for any debts, arrears, or other levies statutory or otherwise, arising out of any of the acts, omissions or deeds of the LICENSEE.
8	Extent of Licensed Premises:
8.1	The license granted by the License Agreement, is only as respects the area enclosed by the walls and the door of the licensed premises. Any open area or the front, back or side verandah (if any) abutting the licensed premises are meant only for the use as common passage by the customers, visitors etc and is not a part of the Licensed premises itself. Such open area or verandah must on NO account be used for any purpose, by the licensee as a part of the licensed premises including but not limited to for exhibiting articles for sale. The verandah(s) must be left absolutely unoccupied. Any occupation of the any open area or the front, back or side verandah (if any), shall constitute unauthorized occupation and the LICENSEE shall be liable for any consequential action.
8.2	The LICENSEE shall not encroach or occupy on any vacant land without prior permission of the Company in writing and shall restrict his use to the premises licensed to him. Any encroachment under this clause or the preceding clause without the prior permission from the Company would be construed as unauthorized occupation / trespass in breach of this agreement, irrespective of the time.
9	Payment of Electricity and Water Charges, Conservancy Charges etc. and Powers of Company in the event of Default of Payment:
9.1	That the LICENSEE shall during the period when it remains in occupation of the licensed premises, it shall pay in full, without demur or any reservations, all, electricity and water consumption charges, as demanded from it in respect of the licensed premises. Such charges, shall be payable on actuals (as intimated to the licensee by the Company) if the connection is from the concerned utility. In case the connection is not from the concerned utility, then the charges shall be payable as determined by the Company in accordance with the rates fixed by the COMPANY in this behalf from time to time. The LICENSEE shall also pay Professional Tax if any imposed by the concerned authorities.
9.2	The LICENSEE further shall bear all necessary conservancy charges and bills for such charges preferred by the COMPANY shall be payable by the LICENSEE within seven days from the date of presentation of the bill failing which 1.5% interest per month will be levied and recoverable from the Security Deposit
9.3	The Licensee shall pay all bills for electricity/water supply etc., on or before the fifth day of each calendar month. In the event of default in making the payment of the bill(s), the supply of the service may be disconnected or discontinued by the Company, without any further notice and without prejudice to the Company's right to terminate the agreement.
9.4	However, the COMPANY shall restore the service(s) immediately after the payment of dues as per clause 9.1 and reconnection charges as fixed by the COMPANY from time to time for each service including recovery on default of payment from the licensee as per clause 9.5 , have been fully paid.
9.5	The recovery of penalty on default payment from the licensee will be minimum of Rs. 100/- p.m. or 1.5% interest per month on outstanding dues, whichever is higher.
10	Maintenance of Licensed Premises:
10.1	The Licensee shall maintain the interior and the exterior of the licensed premises in good tenantable repair at all times during his occupation of the same at his own cost and expenses. However, on account of such expenses and costs, the Licensee shall not be entitled to claim any rebate in the Licensee Fee reserved hereby or for extension of the tenure of the License.
10.2	The Licensee shall always keep the Licensed Premises maintained in neat, clean and hygienic condition to the satisfaction of the COMPANY.

10.3	The Engineer-in-charge of maintenance, or any other authorized representative of the COMPANY shall at all times during the working hours, have free access to every part of the premises allotted to the LICENSEE for the purpose of inspection and also to carry out the necessary repairs and other annual maintenance works.
10.4	That the LICENSEE shall not carry out any additions/alteration of permanent nature, except minor repairs and interiors of temporary nature. No structural change will be
10.5	That the LICENSEE shall make good any damage caused to the said premises at his own expenses (normal wear and tear being excepted). The decision of the COMPANY or any officer authorized on its behalf shall be final and binding on the LICENSEE.
10.6	The major structural repairs of the Licensed Premises, if necessary, shall be carried out by the Company. For the purpose of carrying out such repairs, the Company may call upon the Licensee to handover, vacant and physical occupation of the Premises to the Company for the period requisite for carrying out the repairs as adjudged by the Company
10.7	The Licensee shall not be entitled to claim any compensation for direct or indirect losses arising out of such handing over of occupation of the premises to the Company. However, the original term of the License Agreement shall be correspondingly increased by the duration for which the Licensee remains out of occupation and use of the premises owing to such repairs being carried out.
10.8	In the event, the occupation of the Licensed Premises cannot be restored to the Licensee within a period of six months after carrying out the repairs, the Licensee may terminate the License Agreement by serving the one month notice.
11	Removal of Objectionable/Undesirable Persons from the Premises:
11.1	The LICENSEE should normally be available in the premises to run the business.
11.2	The LICENSEE agrees to forthwith remove any of his employee or associates from the licensed premises, whose continued presence at the aforesaid premises is considered by the COMPANY as undesirable for medical, security or any other reasons which the COMPANY will not be obliged or forced to disclose. The order of the ESTATE OFFICER of the Company in this behalf shall be final and binding.
12	Non-interference by the Licensee with Pipelines etc.
12.1	The LICENSEE shall not interfere or damage with the pipelines, gas pipe lines, water pipe lines, Sewerage lines, Telegraph lines, Telephone, other Cable lines and the Electric lines passing over or under ground of the premises so allotted to him.
13	Remedies for Breach and Termination of License:
	Suggested breach(es) for imposing penalty under this clause are those which are minor in nature and do not call for immediate termination of license agreement, e.g. obstructing pathway by keeping materials/goods, extending shop in verandah etc.
13.1	<p>Except in so far as is specifically provided, in case of breach or non-observance of the terms and conditions of this agreement by the LICENSEE or employees / agent, the COMPANY may, without prejudice to its right to terminate/revoke the License granted under this Agreement on that account, take one or more of the following actions against the LICENSEE:</p> <p>a) Impose penalty for a sum of Rs.500/- per day during which the violation or non-compliance of any provision of this Agreement continues. In the event, the Licensee is found to be habitually violating the provisions of the Agreement, then the penalty shall be calculated at a rate of Rs. 1000/- per day during which the violation or non-compliance continues. The decision of the Company in this behalf shall be final and the amount as adjudged by the Company would, unless paid in full within 7 calendar days from the date of raising of the demand, be deducted, from the Security Deposit of the Licensee.</p> <p>b) Forfeit the security deposit in whole or in part to make good any loss caused to the Company or to the Licensed Premises.</p> <p>c) Suspend the use of the licensed premises by the Licensee for a period not more than 90 (Ninety) days in respect of each such violation or non-compliance.</p>

13.2	Notwithstanding anything to the contrary contained, the Agreement may be terminated at any time by either party by giving one month notice in writing to the other Party without assigning any reason.
13.3	The shop will be allotted on "As-Is-Where-Is" basis. The allottee will not be paid any compensation, damages towards dismantling, removal of any infrastructure, temporary structures, interiors etc., which he/she may have done for running trade/ business during the license period, at the time of expiry/ termination of license /vacation of premises on account of any reason whatsoever.
13.4	On termination of the License as per clause 13.2, the LICENSEE binds himself to remove all his properties from the said premises and shall handover the vacant premises to the COMPANY, repair all damages within the period of the notice for termination / vacation.
13.5	The construction/ structure if any, erected by the LICENSEE shall be removed at his own cost and the premises would be restored as it was handed over. If the COMPANY wants that such structures should not be removed, but be retained in the premises, then the value of such construction / structure shall be determined by the Company which shall be final and paid to the licensee within a reasonable period.
13.6	In case of termination of the License in any manner, the LICENSEE shall not be entitled to claim any compensation from the Company or seek recovery of investments or an alternate premise.
13.7	In the event of insolvency or death or conviction in a court of law for an offence involving moral turpitude of the LICENSEE, the license shall be cancelled forthwith.
13.8	That the vacation of the premises on expiry of the license period is essence of the Contract failing which the Company will be entitled to claim penal charges for unauthorized occupation @ 200% of the License fee but in no case less than Rs 1000/- per day. This shall be in addition to the license fee payable herein.
14	Cost of Stamping and Execution:
14.1	That the LICENSEE shall bear the cost of stamping and execution of this agreement.
15	Any notice required to be served by the COMPANY upon the LICENSEE shall be deemed to be sufficiently served if signed by the officer authorized by the COMPANY and delivered, sent by Registered Post address to the LICENSEE at his last known place of business or at the said premises. Any notice to be served by the LICENSEE upon the COMPANY shall be deemed to be sufficiently given by him and delivered, if the same is properly addressed, and stamped and sent by Registered Post or hand delivered in the office of township administration of the Unit.
15.1	Without prejudice to any other right of the Company under this Agreement or applicable law, the company shall have the right to recover any money which in the sole opinion of the BHEL is due from the licensee from any money due to the licensee under this Agreement or any other contract or from the Security Deposit furnished by the Licensee under this Agreement or any other agreement.
16	Arbitration:
16.1	Any dispute or difference between the Parties arising out of or connected with the present agreement, except in so far as the same is covered by the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 or any other statutory enactments or modifications thereof as may be in force from, time to time, shall be referred to arbitration by a Sole Arbitrator. The Sole Arbitrator shall be appointed by the Head of the Unit of the Company. The proceedings of such arbitration shall be conducted in English language and shall be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification thereof as applicable from time to time. The seat of such arbitration shall be at Lucknow. Subject to clause 17 herein below, the decision of the Sole Arbitrator shall be final and binding on both the Parties.
17	Governing Law: Subject to the provisions of clause 16 herein above, any dispute between the Parties shall be subject to jurisdiction of Courts at Lucknow.

Date:

Signature of the Tenderer

अनुलग्नक I/Annexure I

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भेल टाउनशिप, जगदीशपुर-227817 में स्थित निम्नलिखित दुकानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	क्षेत्रफल वर्ग फुट में.	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क प्रति माह रु.	Water Charges	Earnest राशि (EMD) रु. Rs.	अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध प्रतिबंधित व्यवसायों के अलावा अन्य व्यवसायों को अनुमति नहीं दी गई है	Requirement
1	2	500	2300	50	6900	Grocery and Vegetable Shop किराना एवं सब्जी की दुकान	
2	5	250	1150	25	3450	Medical Shop दवाई की दुकान	
3	6	280	1250	50	3750	Restaurant Shop	FSSAI Document required within one month from date of allotment of Shop. Reserve for OBC
4	N1	250	1150	50	3450	Dairy Shop	FSSAI Document required within one month from date of allotment of Shop.
5	N2	250	1150	25	3450	Tailor Shop	
6	N3	250	1150	25	3450	Stationary Shop	Reserved for OBC
7	N4	250	1150	50	3450	Laundry Shop	Reserve for SC/ST
8	N5	250	1150	25	3450	Gift, Cloths, Home Décor and fancy item store	Reserve for EWS
9	N6	60	275	25	825	Homeopathic Shop	Registration from Homeopathic Medicine Board. Reserve for SC



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

ANNEXURE II

LIST OF BANNED BUSINESS:

List of business which are banned in BHEL Township, Jagdishpur. The offers of the bidders will be summarily rejected who quote to run any of the following business(es)

1. Liquor Shop
2. Casino
3. Night Clubs & Similar
4. Bars & Pubs
5. Dance Bars
6. Lotteries
7. Pawn Brokers & Chit funds
8. Pan & Gutkha
9. Any other Activities/ Businesses which are illegal under Criminal Law/ as per applicable statutes.

Note: In case, a business run by a licensee is subsequently notified as a Banned Business later, such licensee may at his/her option switch over to one or more permissible business after obtaining written consent from BHEL, Jagdishpur.

Date:

Signature of the Tenderer



ANNEXURE III

[to be printed on stamp paper of appropriate value]

AFFIDAVIT OF Mr. / Ms. _____

I, _____ S/o _____ aged about _____ years (date of birth _____),
_____ National and residing at _____ do hereby solemnly affirm and sincerely state
as follows:

1. I state that I currently reside in the aforesaid premises within the jurisdiction of -----
----- police station.
2. I state that the names of my parents and spouse are as follows:
 - a. Father:
 - b. Mother :
 - c. Wife/Husband:
3. I state that I have not been black listed by Central/State government or Public Sector establishments or by public sector banks or any other governmental authorities or instrumentalities of state.
4. I state that I have never been arrested, kept under detention or prosecuted nor have I been fined by any court of law.
5. I have not been accused by any Governmental authority of engaging in any illegal or anti-national activity.
6. No warrant or summons for my appearance, and no warrant for my arrest, has been issued by a court under any law for the time being in force

I state that the above facts are true and correct to the best of my Knowledge and belief. Solemnly affirmed at _____ on this the _____ day of 2016 and signed his name in my presence.

Signature

Sign and Seal of the Notary



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

ANNEXURE IV

Certificate of Acceptance

"Certified that I/we have read and understood all the terms and conditions of the Tender Notice No. ---
----- Dated ----- and that I/we do hereby unconditionally
accept all the Terms and Conditions set out in the Tender Document including the penalty clauses
therein.

Date:

Signature of the Tenderer

Place:

ANNEXURE V
TENDER DETAILS

The bidder should fill in the following format. Incomplete filled in bid will be summarily rejected.

Sl.No	Particulars	To be filled by the bidder
1	Name(s)	
2	Proprietorship (or) Partnership. In case partnership, self-attested copy of partnership deed to be furnished.	
3	Address. Self-attested photo copy of any of the following two should be furnished. 1. Ration Card 2. Voters Identity Card 3. PAN Card 4. Aadhar Card	
4	Duly Notarized Self-Certification Affidavit printed on stamp paper of appropriate value shall be submitted in original. The format is Furnished in Annexure III	
5	Document essential as per requirement column in Annexure I	
6	Self-attested copy of PAN Card. PAN no. to be furnished. In case PAN is not available, the copy of the same shall be submitted within Month of allotment.	
7	Mention Name of business(es) for which the bidder submitted the offer	
8	EMD. Furnish details of payment., Amount, Bank Name and Date	
9	Furnish whether you have already been allotted any shop in BHEL Township, Jagdishpur. If so, mention the shop number and name of the business.	
10	Signed Copy of SC /ST/OBC/EWS Community Certificate (applicable for reserved category only)	

Date:

Signature of the Tenderer

निविदा सूचना- भाग-अ (तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एफएसआईपी जगदीशपुर - 227 817 के आवंटन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत, सम्पदा अधिकारी द्वारा अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध कंपनी के टाउनशिप में दुकान परिसर के लाइसेंसिंग के लिए दो भागों, अर्थात् भाग-अ (तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली) और भाग-ब (मूल्य बोली) में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

विवरण निम्नलिखित हैं

स्थान	दुकान का विवरण और स्थान अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
प्रकार	निर्मित क्षेत्र आरसीसी/गैल्वेनाइज्ड लोहे की प्रोफाइल शीट की छत से ढका हुआ है।
व्यवसाय का प्रकार	निविदाकर्ता अनुलग्नक-1 के आधार को ध्यान में रख कर किसी भी प्रकार का व्यवसाय चला सकता है जो प्रतिबंधित नहीं है या किसी विशेष दुकान के लिए पहचाना नहीं गया है। ऐसे प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची अनुलग्नक-11 में दी गई है।
लाइसेंस शुल्क	<p>लाइसेंस शुल्क निविदा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क प्रति माह अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।</p> <p>अंतिम लाइसेंस शुल्क वैध बोली के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ संबंधित शुल्क (जल शुल्क, लागू कर, उपकर, जहां लागू हो) प्रत्येक माह की शुरुआत में अग्रिम रूप से देय होंगे।</p> <p>प्रारंभिक लाइसेंस समझौता सफल निविदाकर्ता के साथ अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए ही किया जाएगा।</p> <p>जाएगा। इस समझौते की अवधि के दौरान, लाइसेंस शुल्क पिछले वर्ष के समझौते @ 5% की प्रत्येक वार्षिक वर्षगांठ पर बढ़ाया जाएगा जिसे अगले उच्च दस रुपये तक पूरा किया जाएगा।</p>
बिजली और पानी का शुल्क	बिजली शुल्क सफल निविदाकर्ता द्वारा मीटर रीडिंग के अनुसार वहन किया जाएगा। यूपीपीसीएल द्वारा प्रस्तावित किसी भी वृद्धि दर को कब्जाधारक द्वारा वहन किया जाएगा। यूपीपीसीएल द्वारा बिजली कटौती के मामले में कोई आपातकालीन बैक-अप बिजली प्रदान नहीं की जाएगी।
Earnest Money Deposit (EMD):	<p>उस विशेष दुकान के लिए ईएमडी राशि निविदा दस्तावेज के भाग-ए (तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली) के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जिसके बिना निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। प्रत्येक दुकान के लिए ईएमडी राशि अनुलग्नक-1 में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>ईएमडी जैसा कि अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है, निविदा के भाग-ए के साथ भेल खाते में जमा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) के रूप में (निविदा खोलने से पहले) प्रस्तुत किया जाएगा। ईएफटी बैंक खाता संख्या: 10405292240, एसबीआई के, आईजीएफसीसी शाखा, आई०ए० जगदीशपुर, आईएफएससी नं० SBIN0009072। बैंक से ईएफटी हस्तांतरण की प्राप्ति तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी।</p> <p>बयाना राशि जमा किए बिना प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</p> <p>चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि आवंटन आदेश की स्वीकृति के पंद्रह दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>सफल निविदाकर्ता के मामले में, EMD को प्रतिभूति जमा राशि में समायोजित किया जाएगा अथवा यदि सफल निविदाकर्ता लाइसेंस प्रदान करने से इंकार करता है अथवा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहता है और विनिर्दिष्ट और अनुमत समय के भीतर परिसर पर कब्जा करने में विफल रहता है तथा लाइसेंस के अंतर्गत अनुमत समय से परे वास्तविक प्रचालन शुरू करने में विलंब होता है तो इसे जब्त किया जा सकता है।</p>
अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण	<p>नीति के अनुसार, इस निविदा के लिए अधिसूचित रिक्त दुकानों का 15% (पंद्रह प्रतिशत) केवल अनुसूचित जाति समुदाय के लिए और 6% (छह प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति समुदाय, 10% (दस प्रतिशत) ईडब्ल्यूएस समुदाय तथा 27% (सत्ताईस प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटन के लिए पहचाना गया है। तदनुसार, दुकानें केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। संबंधित समुदायों के लिए आरक्षित दुकानों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही बोली लगा सकते हैं और इस संबंध में जानकारी अनुलग्नक-1 में दी गई है।</p> <p>केवल पहचानी गई दुकानों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय, EWS से संबंधित निविदाकर्ता ही निविदा में भाग ले सकते हैं। निर्दिष्ट समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>

निविदा में पूर्व योग्यता आवश्यकताएं	<p>a) निविदाकर्ता को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए। निविदाकर्ता को अनुलग्नक-III में इसका घोषणा करनी होगी।</p> <p>b) निविदाकर्ता को केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए। निविदाकर्ता को अनुलग्नक-III में इसका घोषणा करनी होगी।</p> <p>c) पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड में से किन्हीं दो के स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करानी होगी। इसके अलावा, निविदाकर्ता के पूर्ववृत्त पर स्व-प्रमाणित शपथ पत्र मूल रूप से जमा करना होगा। यदि निविदाकर्ता को कोई दुकान आवंटित की जाती है, तो आवंटि का विवरण सत्यापन के लिए पुलिस को भेजा जाएगा और यदि बाद में आवंटि का पुष्टिकरण गलत पाया जाता है, तो बेदखली के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी और आवंटन को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।</p> <p>d) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।</p> <p>e) अनुलग्नक I के अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।</p>
गैर-पात्रता मानदंड	<p>a) जिसने से बेदखली नोटिस/नोटिस जारी करने के बाद से निविदा सूचना की तारीख तक दुकान खाली नहीं की है/सौंप नहीं दी है।</p> <p>b) निविदा सूचना की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का हो।</p> <p>c) बीएचईएल टाउनशिप के पूर्व लाइसेंसी/वर्तमान लाइसेंसी जिन पर किराये के संबंध में बकाया राशि है, सिवाय इसके कि जहां बकाया राशि वर्तमान महीने के लाइसेंस शुल्क से संबंधित हो।</p>
मूल्य बोली (निविदा भाग-B) का मूल्यांक	<p>a) केवल भाग-अ (तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली) में योग्य निविदाकर्ता ही भाग-ख के लिए विचार किए जाएंगे।</p> <p>b) दुकान उस निविदाकर्ता को आवंटित की जाएगी जो उस विशेष दुकान के लिए उच्चतम लाइसेंस शुल्क का उद्धरण देता है। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से योग्य निविदाकर्ताओं के प्रस्तावों को उच्चतम से निम्नतम (अर्थात् H1, H2, H3, ...) लाइसेंस शुल्क के क्रम में रैंक किया जाएगा। उस विशेष दुकान के लिए पेश किए गए उच्चतम दर (H1) के लाइसेंस शुल्क के आधार पर सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा। इस संबंध में बीएचईएल, एफएसआईपी जगदीशपुर के एस्टेट अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।</p> <p>c) यदि एक से अधिक निविदाकर्ता समान उच्चतम लाइसेंस शुल्क (H1) का उद्धरण देते हैं, तो H1 निविदाकर्ताओं से नए उद्धरण मांगने के लिए सैप बोली का सहारा लिया जाएगा और दुकान उस निविदाकर्ता को आवंटित की जाएगी जो उच्चतम संशोधित लाइसेंस शुल्क उद्धरण देता है।</p>
आवंटन की अवधि	<p>5 वर्षों के बाद नवीनीकरण दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य संशोधित नियमों और शर्तों पर विचार किया जा सकता है। नवीनीकरण के समय, 12 महीने के संशोधित लाइसेंस शुल्क के आधार पर ब्याज मुक्त संशोधित सुरक्षा जमा की शेष राशि को सुरक्षा जमा के रूप में जमा किया जाएगा। संचयी सुरक्षा जमा लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद और रहने वाले व्यक्ति द्वारा भवन के आत्मसमर्पण के बाद ब्याज के बिना वापस कर दी जाएगी, बशर्त कि कंपनी को देय सभी बकाया राशियों का पूर्ण निपटान हो जाए।</p>
"शब्दों" और "अंकों" में असंगति	<p>निविदा में उद्धृत लाइसेंस शुल्क अंक और शब्दों में होगा। यदि शब्दों और अंकों में कोई विसंगति होती है, तो शब्दों में राशि प्रभावी होगी।</p> <p>यदि किसी प्रस्ताव में ऐसी विसंगति होती है, तो उसी को निविदाकर्ता को सूचित किया जाएगा जिसमें एक लक्ष्य तिथि होगी जिस तक निविदाकर्ता को उपरोक्त पंक्तियों पर अपनी स्वीकृति भेजनी होगी और यदि निविदाकर्ता बीएचईएल के निर्णय से सहमत नहीं होता है, तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।</p>

निविदाकर्ता को निर्देश

- a) बीएचईएल एफएसआईपी टाउनशिप में खाली दुकान परिसर का उपयोग "जैसा है, जहां है" के आधार पर लाइसेंस समझौते के आधार पर व्यवसाय चलाने के लिए किया जाएगा। इसका अर्थ है कि निविदाकर्ता को दुकान/परिसर को उसकी वर्तमान स्थिति में स्वीकार करना होगा, चाहे वह स्थिति कुछ भी हो।
- b) निविदा दस्तावेज़ में सभी जानकारी शामिल नहीं है जिसकी प्रत्येक निविदाकर्ता को आवश्यकता हो सकती है। निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले इस निविदा दस्तावेज़ में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करने के लिए अपने स्वयं के जांच करने का अनुरोध किया जाता है। बीएचईएल यहां प्रदान की गई निविदा दस्तावेज़ जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में किसी भी कानून, कानून, नियम या विनियम के तहत कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं करता है और किसी भी दायित्व को वहन नहीं करेगा, यह केवल बीएचईएल के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार है।
- c) निविदा में भाग लेने का अर्थ होगा कि निविदाकर्ता ने निविदा दस्तावेज़ के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है।
- d) निविदाकारों को इस दस्तावेज़ की सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ने और आवश्यक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ, जिसमें सुधार पत्र/परिशिष्ट (यदि कोई हो) और अन्य प्रस्तुतियाँ शामिल हैं, को जमा करने से पहले इस निविदा की शर्तों और नियमों की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में क्रमांकित, हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया जा सकता है। किसी भी बिना हस्ताक्षरित और बिना मुहर लगे दस्तावेज़ पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- e) यदि निविदाकर्ता बयानों/अनुलग्नकों में कोई झूठा या भ्रामक प्रतिनिधित्व करते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई प्रस्तुति बाद के चरण में भी (अर्थात् निविदा के पुरस्कार के बाद) झूठी या भ्रामक पाई जाती है, तो निविदाकर्ता को बीएचईएल की किसी भी भविष्य की निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। ऐसे मामले में, निविदाकर्ता को बीएचईएल के पास रखी गई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) या सुरक्षा जमा को जब्त करना होगा।
- f) निविदाकर्ता को अपने हित में निविदा जमा करने से पहले प्रस्तावित परिसर का निरीक्षण करने का सुझाव दिया जाता है। निविदाकर्ता को बाद में इस खाते पर विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- g) निविदा आवेदन, सभी पहलुओं में पूर्ण, एक सीलबंद लिफाफे में शीर्ष बाएँ तरफ शिलालेख के साथ जमा किया जाना चाहिए "दुकान संख्या के लिए निविदा व्यवसाय बीएचईएल एफएसआईपी टाउनशिप में", और निर्धारित तिथि और समय तक एस्टेट अधिकारी के कार्यालय में रखे सीलबंद निविदा बॉक्स में डाल दें। प्रबंधन डाक द्वारा निविदा प्राप्त होने में किसी भी नुकसान या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- h) निविदाकर्ता को प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निविदा दस्तावेज़ जमा करना होगा जिसके लिए बोली लगाई गई है। यदि निविदाकर्ता तीन दुकानों के लिए बोली लगाता है, तो सीलबंद लिफाफे पर दुकान का नाम और चुने गए व्यवसाय को दर्शाते हुए तीन अलग-अलग निविदा दस्तावेज़।
- i) सफल निविदाकर्ता को बीएचईएल द्वारा निर्धारित सुरक्षा जमा और लाइसेंस विलेख के निष्पादन सहित 15 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और दुकान/लाइसेंस परिसर के आवंटन की तारीख से 45 (चालीस) दिनों के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करना होगा।
- सीलबंद बोली निम्नलिखित तरीके से जमा की जानी चाहिए:
- i) पहला सीलबंद लिफाफा "भाग-अ (तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली) दुकान संख्या के लिए निविदा व्यवसाय बीएचईएल एफएसआईपी टाउनशिप में" के रूप में सुपरस्क्राइब किया गया, जिसमें भाग-ख को छोड़कर सभी उपरोक्त निविदा दस्तावेज़ों का पूरा सेट, ठीक से भरा हुआ और पूर्व-योग्यता के समर्थन में दस्तावेज़ सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर के साथ लेकिन दरो और कीमतों के बिना शामिल होगा। पहले लिफाफे में "अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में" भी शामिल होगा।
- ii) दूसरा सीलबंद लिफाफा "भाग-ख (मूल्य बोली) दुकान संख्या के लिए निविदा व्यवसाय बीएचईएल एफएसआईपी टाउनशिप में" के रूप में सुपरस्क्राइब किया गया, जिसमें मूल्य बोली प्रारूप में भरे हुए दर और कीमतें हस्ताक्षर के साथ शामिल होंगी। इसमें कोई अन्य अतिरिक्त कागजात संलग्न नहीं किए जाएंगे।

<p>अन्य सूचना</p>	<p>a) भाग-अ बोली (तकनीकी सह वाणिज्यिक बोली) उसी दिन दोपहर 3:00 बजे निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। प्रस्तावों की तकनीकी-वाणिज्यिक उपयुक्तता का पता लगाने के बाद, तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य निविदाकारों की मूल्य बोलियों को एक निर्दिष्ट तिथि पर खोला जाएगा जिसके बारे में निविदाकारों को भाग लेने के लिए सूचित किया जाएगा।</p> <p>b) सफल निविदाकर्ता को एक इच्छा पत्र (एलओआई) के माध्यम से बोली की स्वीकृति की सूचना दी जाएगी और इस पत्र को लाइसेंस आधार पर दुकान के आवंटन के लिए प्राधिकरण के रूप में माना जाएगा। निविदाकर्ता को एलओआई की उक्त प्रति पर हस्ताक्षर करके इसे एस्टेट अधिकारी, बीएचईएल एफएसआईपी, जगदीशपुर को प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों (15) के भीतर भेजना होगा। निर्धारित समय के भीतर निविदाकर्ता द्वारा एलओआई पर हस्ताक्षर और वापस करने में विफलता की स्थिति में, बीएचईएल को निविदाकर्ता को बीएचईएल नीति के अनुसार ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार होगा। इस मामले में बीएचईएल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>c) लाइसेंस परिसर के पूर्ण या आंशिक रूप से उप-भाड़े पर देना पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि किसी भी समय देखा गया, तो लाइसेंस को समाप्त और रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या दुकान में विक्रेता की सामग्री को जब्त करना शामिल है।</p> <p>d) समझौते की अवधि के दौरान विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।</p> <p>e) विक्रेताओं को समय-समय पर बीएचईएल द्वारा इकाई दरों/लाइसेंस शुल्क/जल शुल्क/विद्युत शुल्क आदि में किए गए दुकान आवंटन नीति में किए गए परिवर्तनों का पालन करना होगा और यदि आवश्यक हो तो एक नए समझौते में प्रवेश करना होगा।</p> <p>f) बिक्री की न्यूनतम राशि के बावजूद, 80% बिक्री "नकद रहित" होगी।</p> <p>g) निविदाकारों को व्यवसाय या व्यापार की स्थापना के लिए सभी व्यय वहन करने होंगे जिसमें आपूर्ति, स्थापना, परिवहन, जनशक्ति, उपकरण और सामग्री, आवश्यक रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण आदि शामिल हैं, सभी निविदाकारों की लागत में पूर्ण हैं।</p> <p>h) निविदा जमा करने से पहले बोली लगाने के लिए चुनी गई दुकानों का ज्ञान और भौतिक निरीक्षण प्राप्त करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है।</p> <p>i) निविदाकर्ता अपने कब्जे के दौरान लाइसेंस परिसर के आंतरिक और बाहरी हिस्से को हर समय अच्छी मरम्मत की स्थिति में रखने के लिए सहमत होता है। हालांकि, ऐसे खर्चों और लागतों के कारण, निविदाकर्ता इस निविदा में आरक्षित लाइसेंस शुल्क में किसी भी मुआवजे या छूट का दावा करने का हकदार नहीं होगा।</p> <p>j) निविदाकर्ता अस्थायी प्रकृति की मामूली मरम्मत और आंतरिक सजावट को छोड़कर स्थायी प्रकृति का कोई अतिरिक्त/परिवर्तन नहीं करेगा। किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</p>
<p>व्यवसाय की सामान्य शर्तें</p>	<p>a) निविदाकर्ता केवल अनुमत व्यवसायों के लिए अपनी बोली जमा करेंगे। अनुमत नहीं और प्रतिबंधित व्यवसाय अनुलग्नक II में उल्लेखित हैं।</p> <p>b) यदि संभव हो तो, जल आपूर्ति बिंदु दुकान के निकटतम संभव स्थान पर बीएचईएल द्वारा दिया जाएगा, यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो एनआईटी की लागू शर्तों के साथ।</p> <p>c) सभी सफल निविदाकारों को अपनी आवंटित दुकान प्रतिदिन खोलनी होगी और दुकान के सामने उद्घाटन समय सारणी को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। किराने की दुकानों, सब्जी की दुकानों और डेयरी की दुकानों को सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक और शाम 3:00 बजे से 8:00 बजे तक कम से कम खुला रहना होगा। अनुपालन में विफलता पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।</p> <p>d) खाद्य उत्पादों का बिक्री, खाद्य उत्पादों का पैकाजिंग व्यवसायों के लिए लागू सरकारी नियम लागू हाग आर निविदाकार को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रतिबंधों का पालन करना होगा।</p> <p>e) परिसर का साफ-सुथरा रखना निविदाकर्ता का जिम्मेदारी है। कचरा/स्क्रैप का गाल आर सूख के रूप में अलग किया जाएगा और टाउनशिप के बाहर निपटाया जाएगा।</p> <p>f) टाउनशिप में धूकना सख्त वर्जित है। यदि पाया गया तो प्रचलित नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।</p> <p>g) टाउनशिप में एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है। यदि पाया गया तो प्रचलित नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।</p> <p>h) 18 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम का नियोजन सरकारी नियमों के अनुसार सख्त वर्जित है।</p>

दिनांक:

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें

1	अवधि, प्रभावी तिथि इत्यादि।
1.1	इस आवंटन के तहत प्रदान की गई लाइसेंस इस समझौते के प्रमाणपत्र के प्रतिष्ठान से प्रभावी होगी।
1.2	लाइसेंस की अवधि, प्रभावी तिथि से शुरू होकर, कुल पाँच वर्षों (60 महीने) की होगी।
1.3	लाइसेंसधारी को परिसर पर कब्जा करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वह लाइसेंस की शर्तों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 12 (बारह) महीनों की लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि की धरोहर जमा राशि जमा करेगा।
1.4	लाइसेंसधारी द्वारा निविदा के साथ जमा की गई Earnest money , यदि कोई हो, तो उसे देय धरोहर जमा राशि में समायोजित किया जाएगा।
1.5	धरोहर जमा राशि बिना ब्याज के तभी वापस की जाएगी जब लाइसेंसधारी परिसर खाली कर देगा और लाइसेंस की समाप्ति या अवधि समाप्ति के बाद परिसर का भौतिक और निर्बाध कब्जा कंपनी को सौंप देगा, बशर्ते कि किसी भी बकाया राशि को लाइसेंसधारी से काट लिया जाएगा।
1.6	इस लाइसेंस की किसी भी शर्त या नियम का पालन न करने की स्थिति में, कंपनी के विवेकाधिकार पर उक्त सुरक्षा जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा।
1.7	लाइसेंस को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंसधारी इस समझौते के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी में चूक न कर रहा हो और इस संबंध में शर्तों और नियमों के बारे में पक्षों के बीच पूर्व पारस्परिक सहमति हो।
2	व्यवसाय के प्रकार:
2.1	समय-समय पर, कंपनी प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची अधिसूचित करेगी। परिसरों से अधिसूचित प्रतिबंधित व्यवसाय (अनुलग्नक II) नहीं चलाए जाएंगे। इसके अलावा, निविदाकर्ता उन व्यवसायों के लिए उद्धरण नहीं देंगे और न ही उन्हें चलाएंगे जो विशेष दुकानों में अनुमत नहीं हैं (अनुलग्नक-I)। उपरोक्त प्रतिबंधित/अनुमति न दिए गए व्यवसायों को चलाने के लिए उद्धरण देने वाले निविदाकर्ताओं की निविदा को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा।
2.2	लाइसेंसधारी यहां सहमति और वचन देता है कि वह परिसर से कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं चलाएगा जो कंपनी द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय/अनुमति न दी गई व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2.3	जिस लाइसेंसधारी को सामान्य व्यवसाय के लिए परिसर आवंटित किया गया है, वह धारा 2.1 और 2.2 के अधीन रहते हुए कंपनी से बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के एक या अधिक व्यवसायों में परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा, यदि लाइसेंसधारी व्यवसाय बदलता है तो ऐसे व्यवसाय परिवर्तन के लिए देय लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन/छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3	लाइसेंस शुल्क आदि.
3.1	लाइसेंस शुल्क निविदा के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
3.2	पहले महीने का लाइसेंस शुल्क समझौते के हस्ताक्षर करने के दिन ही भुगतान किया जाएगा।
3.3	इस समझौते के प्रत्येक अगले महीने के लिए लाइसेंस शुल्क को प्राथमिकता से प्रत्येक कैलेंडर महीने के पांचवें दिन तक बिना किसी अस्वीकृति या आपत्ति के और कंपनी द्वारा इस संबंध में किसी भी लिखित मांग के बिना भुगतान किया जाना चाहिए।
3.4	इस समझौते के प्रभाव के दौरान, जो लाइसेंस शुल्क निविदा के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जैसा कि धारा 3.1 में उल्लिखित है, वह इस समझौते की तहत प्रति वर्ष @5% के दर (जो पिछले वर्ष की वास्तविक किराये का होगा) से वृद्धि होगी और जिसे अगले उच्चतम दस रुपये तक गोलाकार किया जाएगा।
3.5	लाइसेंसी उस वर्ष में बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क को धारा 3.2 & 3.3 में निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करेगा। इस समझौते के प्रभाव के दौरान उसी प्रक्रिया का पालन भविष्य में भी किया जाएगा।"
3.6	यहां ऊपर निर्धारित तरीके से लाइसेंस फीस का समय पर और त्वरित भुगतान इस समझौते की मुख्य शर्त होगी और लाइसेंसधारी समझता है कि निर्धारित समय पर भुगतान करने में किसी भी प्रकार की विफलता इस समझौते के तहत उसके दायित्वों का मौलिक उल्लंघन मानी जाएगी।"

3.7	कंपनी लाइसेंसधारी को लाइसेंस फीस की प्राप्ति की पावती रसीद जारी करेगी।
4	कंपनी की आवश्यकता के लिए परिसर खाली करना:
4.1	यदि किसी भी समय उस अवधि के दौरान जब लाइसेंसधारी परिसर पर कब्जा कर रहा हो, कंपनी को उक्त परिसर की आवश्यकता होती है, तो कंपनी लाइसेंसधारी को किसी भी उपलब्ध स्थान पर एक समान परिसर में स्थानांतरित करने के लिए कह सकती है, जो वर्तमान स्थान के समान हो सके, और लाइसेंसधारी वहां से परिसर खाली करेगा और कंपनी द्वारा इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर अपने खर्च पर उस परिसर में स्थानांतरित हो जाएगा। यदि कोई वैकल्पिक दुकान उपलब्ध नहीं है, तो कंपनी एक महीने का नोटिस देकर लाइसेंस समाप्त कर देगी।
5	लाइसेंस की प्रकृति और लाइसेंस के स्थानांतरण/समनुदेशन पर प्रतिबंध:
5.1	कि उक्त परिसर का लाइसेंसधारी, समझौते की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा प्रदान की गई अनुमति के तहत, केवल समझौते में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उक्त परिसर का उपयोग करने का अनुमतिप्राप्त अधिकार रखेगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे लाइसेंसधारी के पक्ष में किरायेदारी या उक्त परिसर पर अनन्य अधिकार का निर्माण हो, और उसके अधिकार केवल एक साधारण लाइसेंसधारी के होंगे।
5.2	कि लाइसेंसधारी किसी भी प्रकार से लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा या स्थानांतरित नहीं करेगा और न ही लाइसेंसधारी उक्त परिसर को उप-लाइसेंस देगा या यहां दी गई किसी भी विशेषाधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सौंपेगा। लाइसेंसधारी परिसर का उपयोग केवल यहां परिभाषित उद्देश्य के लिए करेगा, जिसके लिए उसे यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, लाइसेंसकर्ता बिना किसी अन्य कार्रवाई के अपने अधिकारों को प्रभावित किए बिना, इस लाइसेंस को तत्काल समाप्त कर सकता है।
6	कानूनों का अनुपालन
6.1	कि लाइसेंसधारी जिस अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर पर कब्जा बनाए रखेगा, लाइसेंसधारी अपनी व्यापारिक गतिविधियों या लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपयोग के लिए लागू सभी केंद्रीय या राज्य कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का पालन करेगा और उक्त प्रावधानों का पालन करने की सभी लागत अपने खर्च पर वहन करेगा। उपर्युक्त के सामान्य अर्थ को प्रभावित किए बिना, विशेष रूप से, लाइसेंसधारी बाल श्रम अधिनियम, 1938, राज्य के दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
6.2	लाइसेंसधारी अपनी लागत और खर्च पर सभी आवश्यक लाइसेंस, अनुमति, परमिट या स्वीकृतियाँ संबंधित अधिकारियों से प्राप्त करेगा जो लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपयोग के लिए आवश्यक हैं।
6.3	लाइसेंसधारी भी अपनी लागत पर किसी भी नियामक या सांविधिक प्राधिकरण, न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी विनियमन, दिशा-निर्देश या आदेश का पालन करेगा, जो लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपयोग या वहां से की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में हों, जब तक वह लाइसेंस प्राप्त परिसर पर कब्जा बनाए रखता है।
6.4	लाइसेंसधारी सभी प्रकार के करों, शुल्कों, उपकरों, फीस या किसी भी प्रकार के चार्ज का भुगतान करेगा, और लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपयोग या उसमें और उससे की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या आकलित सभी वृद्धि का भी भुगतान करेगा। लाइसेंसधारी अपनी लागत और खर्च पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक वह लाइसेंस प्राप्त परिसर पर कब्जा बनाए रखता है, इन सभी का पालन हो।
6.5	कि समय-समय पर संबंधित विधिक या स्थानीय या नियामक प्राधिकरणों या एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा परिसर की जांच की जा सकती है और उस जांच के परिणामस्वरूप किसी भी अवलोकन या आदेश का पालन लाइसेंसधारी समझेगा और स्वीकार करेगा।
6.6	लाइसेंसधारी द्वारा लागू किसी भी उल्लंघन या किसी भी लागू प्रावधान के अनुपालन के मामले में प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने या अन्य प्रतिष्ठा को लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
6.7	लाइसेंस लाइसेंसर/कंपनी को किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ लड़ने के लिए या लाइसेंस द्वारा लाइसेंस परिसर का उपयोग करने के लिए या लाइसेंस की व्यापार के लिए या लाइसेंस द्वारा लाइसेंस परिसर का उपयोग करने के लिए केंद्रीय और राज्य कानून, नियम, विनियमों की पालना या नियमों, निर्देशों या किसी भी नियामक या विधिक अथवा न्यायिक या अपनी-न्यायिक प्राधिकृतता या स्थानीय प्राधिकृतता के आदर्शों की पालना के लिए लाइसेंसर के द्वारा उठाए गए किसी भी प्रक्रिया की रक्षा के लिए या लाइसेंसर द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ लड़ने के लिए या लाइसेंस द्वारा लाइसेंस परिसर का उपयोग करने के लिए लाइसेंसर को नुकसान से बचाना चाहिए और उसे नुकसान मुक्त रखना चाहिए।
6.8	लाइसेंस, बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के, धारा 6.7 के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा मांगी गई राशि को तुरंत और पूर्ण रूप से अदा करेगा।

6.9	प्रारंभिक लाइसेंस समझौता अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस समझौते में निर्दिष्ट ऐसे आवंटन के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रत्येक बार अधिकतम 5 वर्ष के लिए दो बार तक सीमित नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी।
7	लाइसेंसधारी का जोखिम और देनदारियां:
7.1	लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसर में या उससे किए गए व्यापार के संबंध में सभी जोखिमों और देनदारियों को स्वयं वहन करेगा, और सभी ऋणों या बकायों का निपटान करेगा, और कंपनी किसी भी प्रकार के जोखिमों के लिए या लाइसेंसी के किसी भी कृत्य, चूक या कार्यों से उत्पन्न किसी भी ऋण, बकायों या अन्य शुल्कों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
8	लाइसेंस प्राप्त परिसर का विस्तार:
8.1	लाइसेंस समझौते द्वारा प्रदान किया गया लाइसेंस केवल उन क्षेत्रों तक सीमित है जो लाइसेंस प्राप्त परिसर की दीवारों और दरवाजे द्वारा घिरे हुए हैं। किसी भी खुले क्षेत्र या लाइसेंस प्राप्त परिसर से सटे सामने, पीछे या बगल के बरामदे (यदि कोई हो) का उपयोग केवल ग्राहकों, आगंतुकों आदि द्वारा सामान्य मार्ग के रूप में किया जा सकता है और यह लाइसेंस प्राप्त परिसर का हिस्सा नहीं है। ऐसे खुले क्षेत्र या बरामदे को किसी भी स्थिति में लाइसेंस प्राप्त परिसर के हिस्से के रूप में किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें बिक्री के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन शामिल है लेकिन इसकी सीमा तक सीमित नहीं है। बरामदे को पूरी तरह से खाली छोड़ना चाहिए। किसी भी खुले क्षेत्र या सामने, पीछे या बगल के बरामदे (यदि कोई हो) पर कोई भी कब्जा अवैध कब्जा माना जाएगा और इसके लिए लाइसेंसी किसी भी परिणामी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
8.2	लाइसेंसी कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी खाली जमीन पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं करेगा और अपने उपयोग को उसे लाइसेंस दी गई परिसरों तक सीमित रखेगा। कंपनी की पूर्व अनुमति के बिना इस खंड या पूर्व खंड के तहत किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अनुलग्नक का उल्लंघन माना जाएगा और इसे अवैध कब्जा / अतिक्रमण के रूप में समझा जाएगा, चाहे समय कुछ भी हो।
9	बिजली और जल शुल्क, संरक्षण शुल्क आदि का भुगतान और भुगतान में चूक की स्थिति में कंपनी की शक्तियां:
9.1	लाइसेंसी को लाइसेंस प्राप्त परिसरों पर कब्जे की अवधि के दौरान, बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के, सभी बिजली और पानी की खपत के शुल्क, जो लाइसेंस प्राप्त परिसरों के संबंध में उससे मांगे गए हों, पूरी तरह से चुकाने होंगे। यदि कनेक्शन संबंधित उपयोगिता से है, तो ऐसे शुल्क वास्तविक (जैसा कि कंपनी द्वारा लाइसेंसी को सूचित किया गया है) के आधार पर देय होंगे। यदि कनेक्शन संबंधित उपयोगिता से नहीं है, तो कंपनी द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्धारित दरों के अनुसार, शुल्क कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। लाइसेंसी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए प्रो
9.2	लाइसेंसी सभी आवश्यक स्वच्छता शुल्कों का भार वहन करेगा और कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए इन शुल्कों के बिलों का भुगतान लाइसेंसी द्वारा बिल की प्रस्तुति की तारीख से सात दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि भुगतान में विफलता होती है, तो 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा और इसे सुरक्षा जमा से वसूला जाएगा।
9.3	लाइसेंसी प्रत्येक कैलेंडर माह की पाँचवीं तारीख तक बिजली/पानी की आपूर्ति आदि के सभी बिलों का भुगतान करेगा। यदि बिलों का भुगतान करने में चूक होती है, तो कंपनी द्वारा सेवा की आपूर्ति बिना किसी अतिरिक्त सूचना के और समझौता समाप्त करने के कंपनी के अधिकार को प्रभावित किए बिना, काटी या बंद की जा सकती है।
9.4	हालांकि, कंपनी सेवा (सेवाओं) को तुरंत बहाल कर देगी जब बकाया राशि का भुगतान धारा 9.1 के अनुसार और प्रत्येक सेवा के लिए कंपनी द्वारा समय-समय पर तय किए गए पुनः कनेक्शन शुल्क, जिसमें धारा 9.5 के अनुसार भुगतान में चूक पर लाइसेंसी से वसूली भी शामिल है, पूरी तरह से भुगतान कर दिए जाएंगे।
9.5	लाइसेंसी से भुगतान में चूक पर वसूली के लिए न्यूनतम ₹100/- प्रति माह या बकाया राशि पर 1.5% प्रति माह ब्याज, जो भी अधिक हो, वसूला जाएगा।
10	लाइसेंस प्राप्त परिसर का रखरखाव:
10.1	लाइसेंसी, लाइसेंस प्राप्त परिसर के आंतरिक और बाह्य हिस्सों को हमेशा अच्छे किरायेदार योग्य मरम्मत की स्थिति में बनाए रखेगा, और इसके लिए सभी खर्च और लागतें वह स्वयं वहन करेगा। हालांकि, इन खर्चों और लागतों के आधार पर, लाइसेंसी को यहां आरक्षित लाइसेंस शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट या लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
10.2	लाइसेंसी हमेशा लाइसेंस प्राप्त परिसर को साफ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक स्थिति में कंपनी की संतुष्टि के अनुसार बनाए रखेगा।

10.3	रखरखाव के प्रभारी इंजीनियर या कंपनी का कोई अन्य अधिकृत प्रतिनिधि कार्य के घंटों के दौरान, निरीक्षण करने और आवश्यक मरम्मत तथा अन्य वार्षिक रखरखाव कार्यों को करने के उद्देश्य से, लाइसेंसी को आवंटित परिसर के हर हिस्से में किसी भी समय स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं।
10.4	लाइसेंसी किसी भी स्थायी प्रकृति के परिवर्धन/संशोधन नहीं करेगा, सिवाय छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों और अस्थायी प्रकृति के आंतरिक कार्यों के। कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
10.5	लाइसेंसी को स्वयं अपने खर्चे पर उस परिसर में हुई किसी भी क्षति को ठीक करना होगा (सामान्य टूट-फूट को छोड़कर) कंपनी या उसके अधिकृत किसी अधिकारी का निर्णय लाइसेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
10.6	प्राप्त परिसर की मुख्य संरचनात्मक मरम्मत, यदि आवश्यक हो, कंपनी द्वारा की जाएगी। ऐसी मरम्मत कार्यों को करने के उद्देश्य से, कंपनी लाइसेंसी से परिसर का खाली और भौतिक अधिकार सौंपने को अनुरोध कर सकती है, जिस अवधि के लिए जोरदार मरम्मत की आवश्यकता के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित की गई है।
10.7	लाइसेंसी को इस प्रकार के परिसर के अधिग्रहण से उत्पन्न सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसानों के लिए किसी भी मुआवजा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि, लाइसेंस समझौते की मूल अवधि उस अवधि से बढ़ाई जाएगी जिस अवधि तक लाइसेंसी परिसर के अधिग्रहण और उपयोग से बाहर रहता है, जो ऐसी मरम्मत कार्यों के कारण किया जाता है।
10.8	यदि मरम्मत कार्यों के बाद छह महीने के अंदर प्राप्त परिसर का उपयोग लाइसेंसी को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो लाइसेंसी एक महीने का नोटिस देकर लाइसेंस समझौता समाप्त कर सकता है।
11	आपत्तिजनक/अवांछनीय व्यक्तियों को परिसर से हटाना:
11.1	लाइसेंसी को आमतौर पर प्राप्त परिसर में व्यापार चलाने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।
11.2	लाइसेंसी स्वीकारता है कि वह तत्काल अपने किसी भी कर्मचारी या सहयोगी को लाइसेंस प्राप्त परिसर से हटा देगा, जिनकी कंपनी द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी अन्य कारणों के लिए उनकी आगंतुकता को अवांछनीय मानी जाती है, जिनके बारे में कंपनी को जानकारी देने का अनिवार्य या बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कंपनी के इस संबंध में एस्टेट ऑफिसर का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा।
12	पाइपलाइन आदि में लाइसेंसधारी द्वारा हस्तक्षेप न करना।
12.1	लाइसेंसी उस प्राप्त परिसर के भूमि के ऊपर या नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइन, गैस पाइप लाइन, पानी की पाइप लाइन, सीवर लाइन, टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन, अन्य केबल लाइन और इलेक्ट्रिक लाइनों में हस्तक्षेप या क्षति नहीं करेगा।
13	उल्लंघन और लाइसेंस की समाप्ति के उपाय
	इस खंड के तहत जुर्माना लगाने के लिए सुझाए गए उल्लंघन वे हैं जो प्रकृति में छोटे हैं और लाइसेंस समझौते को तत्काल समाप्त करने के लिए नहीं कहते हैं, उदाहरण के लिए। सामग्री/सामान रखकर मार्ग को बाधित करना, बरामदे में दुकान फैलाना आदि।
13.1	जहां तक विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, लाइसेंसधारी या कर्मचारियों/एजेंट द्वारा इस समझौते के नियमों और शर्तों के उल्लंघन या गैर-पालन के मामले में, कंपनी, इस खाते पर इस समझौते के तहत दिए गए लाइसेंस को समाप्त/निरस्त करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेंसधारी के खिलाफ निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई कर सकती है: a) इस समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन या गैर-अनुपालन जारी रहने के दौरान प्रतिदिन 500/- रुपये की राशि का जुर्माना लगाना। इस घटना में, लाइसेंसधारी को आदतन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो जुर्माना 1000/- रुपये प्रति दिन की दर से गणना की जाएगी, जिसके दौरान उल्लंघन या गैर-अनुपालन जारी रहता है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और कंपनी द्वारा तय की गई राशि, जब तक कि मांग उठाने की तारीख से 7 कैलेंडर दिनों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारी की सुरक्षा जमा से काट ली जाएगी। b) कंपनी या लाइसेंस प्राप्त परिसर को हुए किसी नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा जमा राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त कर लेना। c) प्रत्येक ऐसे उल्लंघन या गैर-अनुपालन के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त परिसर के उपयोग को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक अवधि के लिए निलंबित करना।

13.2	इसके विपरीत कुछ भी निहित होने पर भी, किसी भी पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए, दूसरे पक्ष को एक माह का लिखित नोटिस देकर किसी भी समय अनुलग्नक को समाप्त किया जा सकता है।
13.3	दुकान का आवंटन "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर किया जाएगा। लाइसेंस अवधि के दौरान व्यापार/कारोबार चलाने के लिए आवंटी द्वारा किए गए किसी भी बुनियादी ढांचे, अस्थायी संरचनाओं, अंदरूनी हिस्सों आदि को हटाने, हटाने के लिए किसी भी तरह का मुआवजा, क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा, लाइसेंस की समाप्ति/समाप्ति के समय/किसी भी कारण से परिसर खाली करने पर।
13.4	धारा 13.2 के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति पर, लाइसेंसधारी उक्त परिसर से अपनी सभी संपत्तियाँ हटाने के लिए बाध्य है और खाली परिसर को कंपनी को सौंप देगा, समाप्ति / खाली करने के नोटिस की अवधि के भीतर सभी क्षति की मरम्मत करेगा।
13.5	लाइसेंसधारी द्वारा यदि कोई निर्माण/संरचना बनाई गई है, तो उसे स्वयं के खर्च पर हटाया जाएगा तथा परिसर को उसी रूप में बहाल किया जाएगा, जैसा उसे सौंपा गया था। यदि कंपनी चाहती है कि ऐसी संरचनाओं को हटाया न जाए, बल्कि परिसर में ही रखा जाए, तो ऐसे निर्माण/संरचना का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो अंतिम होगा तथा उचित अवधि के भीतर लाइसेंसधारी को भुगतान किया जाएगा।
13.6	किसी भी तरह से लाइसेंस की समाप्ति की स्थिति में, लाइसेंसधारी कंपनी से किसी भी मुआवजे का दावा करने या निवेश की वसूली या वैकल्पिक परिसर की मांग करने का हकदार नहीं होगा।
13.7	लाइसेंसधारक के दिवालिया होने, उसकी मृत्यु होने अथवा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए न्यायालय में दोषसिद्धि की स्थिति में, लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
13.8	लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर परिसर को खाली करना अनुलग्नक का सार है, जिसके न होने पर कंपनी लाइसेंस शुल्क के 200% की दर से अनधिकृत कब्जे के लिए दंडात्मक शुल्क का दावा करने की हकदार होगी, लेकिन किसी भी मामले में यह 1000/- रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगा। यह यहां देय लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा।
14	मुद्रांकन और निष्पादन की लागत:
14.1	लाइसेंसधारी इस समझौते के स्टाम्पिंग और निष्पादन की लागत वहन करेगा।
15	कंपनी द्वारा लाइसेंसधारी को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस पर्याप्त रूप से दिया गया माना जाएगा यदि वह कंपनी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और लाइसेंसधारी को उसके व्यवसाय के अंतिम ज्ञात स्थान या उक्त परिसर में पंजीकृत डाक पते द्वारा भेजा गया हो। कंपनी को लाइसेंसधारी द्वारा दिया जाने वाला कोई भी नोटिस उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दिया गया और दिया गया माना जाएगा यदि उसे उचित रूप से संबोधित किया गया हो, और उस पर मुहर लगाई गई हो और उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया हो या इकाई के टाउनशिप प्रशासन के कार्यालय में हाथ से दिया गया हो।
15.1	इस समझौते या लागू कानून के तहत कंपनी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी को किसी भी धनराशि को वसूलने का अधिकार होगा जो बीएचईएल की एकमात्र राय में लाइसेंसधारी से इस समझौते या किसी अन्य अनुलग्नक के तहत लाइसेंसधारी को देय किसी भी धनराशि से या इस समझौते या किसी अन्य समझौते के तहत लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा से वसूलने का अधिकार होगा।

16	मध्यस्थता
16.1	वर्तमान समझौते से उत्पन्न या उससे जुड़े पक्षों के बीच कोई विवाद या मतभेद, सिवाय इसके कि वह सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 या किसी अन्य वैधानिक अधिनियम या उसके संशोधनों के अंतर्गत आता हो, जो समय-समय पर लागू हो सकता है, एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। एकल मध्यस्थ को कंपनी की इकाई के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। ऐसी मध्यस्थता की सीट लखनऊ में होगी। नीचे दिए गए धारा 17 के अधीन, एकल मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
17	शासकीय कानून: उपरोक्त धारा 16 के प्रावधानों के अधीन, पक्षों के बीच कोई भी विवाद लखनऊ स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

दिनांक:

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

अनुलग्नक I/Annexure I

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भेल टाउनशिप, जगदीशपुर-227817 में स्थित निम्नलिखित दुकानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	क्षेत्रफल वर्ग फुट में.	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क प्रति माह रु.	Water Charges	Earnest राशि (EMD) रु. Rs.	अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध प्रतिबंधित व्यवसायों के अलावा अन्य व्यवसायों को अनुमति नहीं दी गई है	Requirement
1	2	500	2300	50	6900	Grocery and Vegetable Shop किराना एवं सब्जी की दुकान	
2	5	250	1150	25	3450	Medical Shop दवाई की दुकान	
3	6	280	1250	50	3750	Restaurant Shop	FSSAI Document required within one month from date of allotment of Shop. Reserve for OBC
4	N1	250	1150	50	3450	Dairy Shop	FSSAI Document required within one month from date of allotment of Shop.
5	N2	250	1150	25	3450	Tailor Shop	
6	N3	250	1150	25	3450	Stationary Shop	Reserved for OBC
7	N4	250	1150	50	3450	Laundry Shop	Reserve for SC/ST
8	N5	250	1150	25	3450	Gift, Cloths, Home Décor and fancy item store	Reserve for EWS
9	N6	60	275	25	825	Homeopathic Shop	Registration from Homeopathic Medicine Board. Reserve for SC



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

अनुलग्नक II

भेल टाउनशिप, जगदीशपुर में प्रतिबंधित व्यवसाय की सूची

निविदाकर्ता के प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए बोली लगाते हैं।

- ☐ शराब की दुकान
- ☐ कैसीनो
- ☐ रात के क्लब
- ☐ बार और पब्स
- ☐ डांस बार्स
- ☐ लॉटरी
- ☐ पॉन ब्रोकर्स और चिट फंड्स
- ☐ पान और गुटखा

कोई अन्य गतिविधियां/व्यवसाय जो आपराधिक कानून के तहत अवैध हैं/लागू मूर्तियों के अनुसार।

टिप्पणी : यदि लाइसेंसधारक द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को बाद में प्रतिबंधित कारोबार के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसा लाइसेंसधारक बीएचईएल, जगदीशपुर से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद अपने विकल्प पर एक अथवा अधिक अनुमेय कारोबार शुरू कर सकता है।

दिनांक:

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

अनुलग्नक III (मॉडल शपथ पत्र प्रारूप)

[उचित मूल्य के स्टॉप पेपर पर मुद्रित किया जाना चाहिए]

श्री/श्रीमती ----- का शपथ पत्र

मैं ----- पुत्र/पुत्री -----, जन्म तिथि ----- (उम्र वर्ष -----
-----), राष्ट्रीयता और निवासी -----, यह शपथपूर्वक और सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित कथन
करता/करती हूँ:

1. मैं यह कहता/कहती हूँ कि मैं उपरोक्त स्थान पर ----- पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में निवास करता/करती हूँ।
2. मैं यह कहता/कहती हूँ कि मेरे माता-पिता और पति/पत्नी के नाम निम्नलिखित हैं:
a. पिता:
b. माता:
c. पत्नी/पति:
3. मैं यह कहता/कहती हूँ कि मुझे केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरणों या राज्य के साधनों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. मैं यह कहता/कहती हूँ कि मुझे कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में नहीं रखा गया या अभियोजन नहीं किया गया और न ही मुझे किसी अदालत द्वारा कभी जुर्माना लगाया गया है।
5. मुझे किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी अवैध या राष्ट्रविरोधी गतिविधि में संलग्न होने का आरोप नहीं लगाया गया है।
6. मेरे खिलाफ किसी अदालत द्वारा कोई समन या वारंट जारी नहीं किया गया है और किसी भी लागू कानून के तहत मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया गया है।

मैं यह कहता/कहती हूँ कि उपरोक्त तथ्यों के बारे में मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार यह सत्य और सही है। सत्यनिष्ठा से
----- पर, इस ----- तारीख ----- दिन को ----- 2024 को शपथ ली और मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

नोटरी के हस्ताक्षर और मुहर



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

अनुलग्नक IV

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निविदा सूचना संख्या

दिनांक-----की सभी शर्तों और नियमों को भली-भांति पढ़ और समझ लिया है तथा

मैं/हम निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी शर्तों और नियमों को, जिसमें दंड धाराएं भी शामिल हैं, बिना शर्त

स्वीकार करते हैं।

(निविदाकर्ता का हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक V
निविदा विवरण

निविदाकर्ता को निम्नलिखित प्रारूप भरना होगा। अपूर्ण भरी गई निविदा को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	नाम	
2	स्वामित्व (या) भागीदारी। भागीदारी के मामले में, भागीदारी विलेख की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
3	पता। निम्नलिखित दो में से किसी एक की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी प्रस्तुत की जानी चाहिए। 1. राशन कार्ड 2. मतदाता पहचान पत्र 3. पैन कार्ड 4. आधार कार्ड	
4	उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर मुद्रित विधिवत नोटरीकृत स्व-प्रमाणन शपथ-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रारूप अनुलग्नक III में प्रस्तुत किया गया है।	
5	अनुलग्नक I में आवश्यकता कॉलम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़	
6	पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति। पैन नंबर प्रस्तुत करना होगा। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो उसकी प्रति आवंटन के महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।	
7	उस व्यवसाय का नाम बताएं जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है	
8	EMD भुगतान का विवरण, राशि, बैंक का नाम और दिनांक प्रस्तुत करें	
9	कृपया बताएं कि क्या आपको बीएचईएल टाउनशिप, जगदीशपुर में पहले से कोई दुकान आवंटित है। यदि हां, तो दुकान संख्या और व्यवसाय का नाम बताएं।	
10	आरक्षित श्रेणी के लिए लागू अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति / ईडब्ल्यूएस/अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति	

दिनांक:

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Bharat Heavy Electricals Limited

फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर

Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

PART-B

PRICE BID FOR SHOP NUMBER –.....

Bidders are required to complete the following Price Bid along with quoting the Monthly License Fee for the respective shop.

Sl.No	Name of the Business(es)	Monthly License Fee (in words) (Excluding Tax)	Monthly License Fee (in figures) (Excluding Tax)
1			

1. Bidders can quote for not more than three shop.
2. The name of the business(es) intended to be carried out in the particular shop shall be mentioned.
3. Bidders are advised to fill in carefully without any addition/deletion/correction. No additions/deletions/corrections will be accepted.
4. Allotment of any shop will be made to the bidder who quotes the highest monthly License Fee for that particular shop.
5. Allottee will not use the allotted shop as resident. Neither he will be allotted any quarter in township.
6. Applicable Tax will be extra and shall be borne by the bidder. The rate of applicable Tax is subject to revision based on the notification issued by the Central Government from time to time.

Date:

Signature of the Tenderer



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Bharat Heavy Electricals Limited

फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग ऐन्ड इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर

Fabrication, Stamping & Insulator Plant (FSIP), Jagdishpur

PART-B (ख)

दुकान नंबर के लिए मूल्य निविदा

निविदाकर्ताओं को संबंधित दुकान के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत करने के साथ निम्नलिखित मूल्य बोली को पूरा करना आवश्यक है।

क्रम संख्या	व्यवसाय का नाम	मासिक लाइसेंस शुल्क (शब्दों में) (टैक्स को छोड़कर)	मासिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में) (टैक्स को छोड़कर)
1			
2			
3			
4 उदाहरण	दुकान संख्या - N3 (Stationary Shop)	रु० पाच हजार मात्र	रु० 5000/-

1. निविदाकर्ता अधिकतम तीन दुकानों के लिए निविदा कर सकते हैं।
2. निविदाकर्ता की सुविधा के लिए, मूल्य बोली प्रारूप की एक पंक्ति में एक उदाहरण दिया गया है।
3. निविदाकर्ताओं को सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी जाती है, किसी भी जोड़/हटाव/सुधार के बिना। कोई जोड़/हटाव/सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. किसी भी दुकान का आवंटन उस निविदाकर्ता को किया जाएगा जो उस विशेष दुकान के लिए सबसे अधिक मासिक लाइसेंस शुल्क को निविदा करता है।
5. किसी भी दुकान को निविदाकर्ता द्वारा निवास के उपयोग में नहीं लिया जाएगा। उसे उपनगरी में भी कोई कमरा आवंटित नहीं किया जाएगा।
6. लागू टैक्स अतिरिक्त होगा और इसे निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। लागू टैक्स की दर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर संशोधन के अधीन है।

दिनांक:

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर